न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2017

उनवान

चौथूराम उर्फ चौथमल वगैरह बनाम रामसिंह वगैरह

प्रार्थना पत्र मन्सूखी एकपक्षीय निर्णय डिक्री आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक 15.10.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी सं0 1 लगाायत 3 व 4 लगा0 10 के पूर्वज गिरधारी व अन्य खातेदारान के विरूद्व अदालत हाजा में उनवारी वाद प्रकरण रामसिंह वगैरह बनाम मुरलीधर वगैरह में आराजी ख0नं0 4751 4754, 4784 तीनों का सम्पूर्ण रकबा एवं ख0नं0 4750 हिस्सा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण 1 लगा0 3 व 4लगा0 10 के पूर्वज गिरधारी के विरूद्व दिनांक 4.11.2009 को एक पक्षीय डिकी करवा लिया गया । उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पास कभी कोई सम्मन नही गय न ही प्रार्थी सं0 1 लगा0 3 व मृतक गिरधारी ने कभी कोई सम्मन लेने से इन्कार किया न ही प्रार्थीगण ने सम्मन्न लेने से इन्कार किया बल्कि अप्रार्थीगण ने तामिल कुनन्दा से मिलकर फर्जी तामिल करवाई है ।यदि अदालत हाजा के सम्मन प्रार्थीगण के पास जाते तो प्रार्थीगण आवश्यक रूप से उपस्थित होकर प्रकरण में पैरवी करते व अपनी जवाब देही प्रस्तुत अपना पक्ष प्रस्तुत करते । प्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कभी कोई अवसर नहीं दिया गया है।अप्रार्थीगण ने जिस भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था उसमें अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध रहा है न ही वर्तमान में है । प्रश्नागत आराजी में दीगर आराजी के 1/2 भाग के प्राथीगण सं0 1 लगा0 3 व मृतक गिरधारी च 1/2 भग के अन्य सह खातेदार सुखा सुन्दर पुत्रान बलदेव रहे है जिनके वारिसान व प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से के अनुसार शान्तिपूर्वक व बिना किस बाधा के कब्जा चला आ रहा है तथा अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज कास्त है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 26.2.2017 को प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि की खातेदारी स्वंय के नाम होना बताते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि के 1/2 भाग से जबरन बैदखल करने व खातेदारी में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नीयत से अन्य दीगर को रहन बयहस्तान्तरण करने व उसका राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने की धमकी दी इस पर प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात की नकले प्राप्त करने पर उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय व डिकी की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा इससे पूर्व प्रार्थी को एकपक्षीय निर्णय व डिकी की कोई जानकारी नहीं रही है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि सीपीसी के आदेश 5 नियम 12 के अनुसार यदि सम्मन क तामिल स्वंय प्रतिवादीगण पर होनी चाहिए तथा प्रतिवादीगण के द्वारा सम्मन को लेने से इन्कार करने पर अथवा अपने निवास पर नहीं पाये जाने की सूरत में आदेश 5 नियम 17 व अन्य विधिक प्रावधानों के नियमानुसार पालना की पूर्ति किया जाना आवश्यक व आज्ञायक है प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रश्नागत निर्णय व डिकी की प्रथम बार जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.2.17 को प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि बैदखल कर स्वंय कब्जा करने व अपने पक्ष मं डिकी होने का कथन करने पर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व नकल निर्णय व डिकी प्राप्त करने पर हुई है । इसलिय अपील प्रस्तुत करने में देरी दिनांक 4.11.2009 से 26.2.17 तक की देरी जानकारी के अभाव में हुई है जिसे माफ किय जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पृथक से पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर दिनांक 4.11.209 को मृतक गिरधारी के विरूद्व पारित एक पक्षीत निर्णय व डिकी को अपास्त कर प्रकरण में समुचित जवाब देही का अवसर दिये जाने के आदेश पारीत करें ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण की ओर श्री सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 13.3.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि उनवानी प्रकरण में दिनांक 22.12.2007 को प्रतिवादी सं0 1 से 4 , 7, 8, 14, 16, 19 25 की एक पक्षीय कार्यवाही की गइ है तथा दिनांक 26.10.2009 तक सभी प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर साक्ष्य वादी में शपथपत्र पेश होकर दिनांक 4.11.2009 को निर्णय डिक्री पारित किया गया है प्रतिवादीगण को विधिक अनुसार तामिल करवाई गई है तथा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी दावा दायरी दिनांक 27.10.2007 से ही रही है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अवगत कराया कि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी शुरू से ही रही है तथा दिनांक 4.11.2009 से सन् 2017 यानी 8 वर्ष पश्चात प्रार्थीगण ने विधि के खिलाफ मियाद बाहर प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया है जो दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश करने से मियाद को माफ नहीं किया जा सकता है चूंकि प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी शुरू से ही रही है। प्रकरण में प्रार्थीगण की विधिवत तामिल करवाई जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत कार्यवाही करनेहेतु बाधित है जबकि उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 4.11.2009 से किसी भी प्रकार से आहत या नाराज थे तो नियमित समयावधि में अपर न्याालय में अपील का अवसर कानूनन मिल सकता था जबकि उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने लायक नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थीगण की तामिल चस्पानगी से करवाई गई जिसमें गवाह के हस्ताक्षर सही नहीं है तथा चस्पानगी करने के आदेश न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किये है बल्कि अप्रार्थीगण ने तामिल कुन्नदा से मिलकर फर्जी तामिल करवाई गई है ।वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने यह भी जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 4750 रकबा 0.46 है0 में हिस्सा 1/2 के बजाय सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण/वादीगण को दे दी गई जो कि गलत है। वकील प्रार्थी ने अपने समर्थन में 1 20016 (1) आर आर टी 111, 2 2017आर आर डी , पेज सं0 549, 3 2015 आरबीजे (एस सी) 482, 4 218 आरबीजे 279, 5 2012 (2)डएनजे राज0 1157 की नजीरे पेश कर उनकी ओर ध्यान आकर्षित करवाया ।वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि निर्णय डिक्री वर्ष 2009 में हुआ था तथा वर्ष 2017 में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मियाद बाहर होने से खारिज फरमाया जावे चूंकि प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी रही है तथा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण हनुमान चौथू द्वारा सम्मन की चस्पानगी कर तामिल करवाई गई है। जो विधि अनुसार है तथा आराजी ख0नं0 4750 में सम्पूर्ण भूमि वादी को डिक्री किया जाना न्यायालय की गलती होना जाहिर किया ।

उपरोक्त विवरण तथा उभय पक्ष के बयान तथा दलीलो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रकरण में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की नियमानुसार तामिल होना सिद्व नहीं होता है तथा प्रकरण में जो निर्णय पारीत किया गया है उसमें आराजी ख0नं0 4750 में सम्पूर्ण भूमि वादी को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने तथा दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र संलग्न होने से मियाद अवधि कण्डोन किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी0 स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 202/2007 रामसिंह बनाम मुरलीधर में दिनांक 4.11.2009 को पारित एक पक्षीय पारीत निर्णय व डिक्री को निरस्त कर मन्सूख किया जाकर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों तथा मूलवाद के साथ हमशिला रहे।

([illegible] कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान